न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 167/2013

गणेश पुत्र स्व0 श्री कालूनाथ जाति जोगी निवासी जोगियों का नाडा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़

अप्रार्थी

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956

दिनांकः 30/09/21

उपस्थितः श्री रामदेव गुर्जर — प्रार्थी अभिभाषक
अप्रार्थी

निर्णय

1. यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत विरूद्ध अप्रार्थी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि –
प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि माफी मन्दिर श्री महादेव जी महाराज का मन्दिर ग्राम सरगांव एवं जोगियों का नाडा की सरहद पर निर्मित है। ग्राम जोगियों का नाडा स्थित ख0नं0 234/1 रकबा 45–03–00 भूमि व ख0नं0 234/2 रकबा 00–07–00 कुल रकबा 45–10–00 भूमि तथा ग्राम रामपुरा की ढाणी स्थित ख0नं0 31 रकबा 00–05–00 गै0मु0 चाह व ख0नं0 32 रकबा 17–03–00 कुल रकबा 17–08–00 भूमि मन्दिर श्री महादेव के नाम से खातेदारी की भूमि है। प्रार्थी के पूर्वाधिकारी रेवतनाथ वल्द हीरानाथ जाति जोगी निवासी जोगियों का नाडा, पुजारी संवत 2010 से 2037 तक माफी मन्दिर श्री महादेव जी महाराज के पुजारी थे, तत्पश्चात् पीढ़ी दर पीढ़ी मन्दिर की सेवा, पूजा, अर्चना संयुक्त परिवार की दृष्टि से करते आ रहे है। इनके फौत होने के पश्चात् सुगननाथ पुत्र रेवतनाथ जोगी द्वारा मन्दिर की सेवा, पूजा, अर्चना पुजारी के रूप में कार्य करते रहे है एवं सुगननाथ पुत्र रेवतनाथ की आयु अधिक होने से एवं इनके फौत होने के पश्चात् उक्त मन्दिर की सेवा पूजा दत्तक पुत्र छोगा नाथ पुत्र गुलाबनाथ जोगी द्वारा की जाती रही है एवं छोगानाथ पुत्र गुलाबनाथ की आयु 60 साल से अधिक होने से सेवा पूजा करने में परेशानी होने से प्रार्थी के पिता स्व0 कालूनाथ पुत्र गिरधारीनाथ द्वारा की जाती रही है एवं प्रार्थी के पिता के फौत होने के पश्चात् पूर्व पुजारी छोगानाथ पुत्र गुलाबनाथ द्वारा अपनी स्वेच्छा से सहमती पत्र दिनांक 28.12.2012 को उक्त मन्दिर की सेवा, पूजा, अर्चना एवं बहैसियत पुजारी के रूप में कार्य करने एवं परिवार का सदस्य होने

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

के कारण प्रार्थी को संभला दिया गया था तक से प्रार्थी ही पूजा, अर्चना एवं पूजारी के रूप में कार्य कर रहा है एवं मन्दिर के अधिन समस्त आराजी की देखरेख प्रार्थी द्वारा ही की जा रही है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में जरिये पूजारी का अंकन सम्वत् 2041 की जमाबन्दी में सुगनाथ पि0 रेवतनाथ जो जमाबन्दी सम्वत् 2045 से 2047 में इस प्रकार से दर्ज था तत्पश्चात् राजस्थान सरकार द्वारा गजट नोटिफिकेशन निकालने के पश्चात् नामान्तकरण संख्या 414 दिनांक 04.06.1992 को पूरे खाते में पुजारी का नाम विलोपित (पृथक) किया गया तथा विलोपन आदेश नामान्तकरण में कारण आदेश क्रमांक/क.31/राज. देवस्थान/91/357–367 दिनांक 23.01.1992 की पालना में अंकित किया गया जो कि राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.2 (4)/98/37 दिनांक 31.12.1991 को जारी आदेश के अनुक्रम में किया गया। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 25.11.2011 के जारी परिपत्र राजस्व ग्रुप–6 विभाग क्रमांकः प.3(2) राज0–6/07/19 द्वारा यह आदेश पारित किये गये कि वर्णित परिपत्र जिसके आधार पर पुजारियों के नाम विलोपित किये गये है वह राजस्व नियमावली की गलत प्रक्रिया है तथा मन्दिर की भूमि पर पुनः मन्दिर के साथ पुजारियों का नाम जोड़ा जावे तथा इस बाबत् राजस्व रिकार्ड की शुद्धिकरण के लिए धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत् चाराजोही किये जाने बाबत् दिशा निर्देश प्रदत्त किये गये है। प्रार्थी द्वारा तहसीलदार किशनगढ़ भू–धारी को राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.11.2011 के अनुक्रम में राजस्व रिकार्ड में नामान्तकरण सं0 64 दिनांक 16.07.1992 जो नामान्तकरण दिनांक 11.06.1992 को स्वीकृत किया गया के विलोपन को हटाकर पुनः दर्ज किये जाने बाबत् पेश किया गया था। वर्तमान राजस्व रिकार्ड दिनांक 25.11.2011 के परिपत्र के अनुक्रम में सही, शुद्ध नहीं है तथा हस्तगत मंदिर की माफी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के पूर्व ही जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 के नियम 9 के अन्तर्गत पुर्नग्रहित की गयी तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के पूर्व से ही प्रार्थी/उनके पूर्वाधिकारी उपरोक्त भूमि पर खुदकाश्त काश्तकार के स्वरूप काबिज थे। अतः इस परिपेक्ष्य में उपरोक्त परिपत्र के अनुक्रम में प्रार्थी को स्वतंत्र रूप से खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके है। जिनका राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाना उक्त परिपत्र के अनुक्रम में नियमानुकुल है। अतः प्रार्थी द्वारा राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.11.2011 के अनुक्रम में मन्दिर श्री महादेव जी महाराज की खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम जोगियों का नाडा स्थित ख0नं0 234/1 रकबा 45–03–00 भूमि व ख0नं0 234/2 रकबा 00–07–00 कुल रकबा 45–10–00

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

भूमि तथा ग्राम रामपुरा की ढाणी स्थित ख0नं0 31 रकबा 00–05–00 गै0मु0 चाह व ख0नं0 32 रकबा 17–03–00 कुल रकबा 17–08–00 भूमि में पुजारी के रूप में प्रार्थी का नाम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड की शुद्धि किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया।

3. अप्रार्थी को नोटिस वास्ते जाहिर करने वजह (Civil Procedure Code Appendix H, Form No. 4) के तहत् नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी पैरोकार सरकार की ओर से दिनांक 12.10.2020 को जवाब पेश किया गया।

3. अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 25.11.2011 को जारी परिपत्र अनुसार मन्दिर की कानूनी स्थिति बिन्दू संख्या ''द'' में निम्नानुसार वर्णित है :–

''मंदिर भूमि जो शाश्वत अवयस्क विधिक पुरूष है, खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत हो गये। इस प्रकार खातेदारी अधिकार प्राप्त भूमियों पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 46 में वर्णित अवयस्क की निर्योग्यता के प्रावधान लागू होते है, जिसके कारण कब्जे के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 19 के तहत् उपकृषक को खातेदारी अधिकार नहीं मिल सकते।''

वाद अधीन खसरा भूमि बन्दोबस्त जमाबन्दी सम्वत् 2010 में खाता संख्या 207 में कॉलम संख्या 3 (नाम भोक्ता, पिता का नाम, जाति व निवास स्थान) में मन्दिर श्री शंकर महादेव जी बएतनाम पुजारी रेवतनाथ वल्द हरिनाथ कौम जोगी सा. जोगियों का नाडा तथा कॉलम संख्या 5 (नाम कृषक, पिता का नाम, जाति निवासी स्थान श्रेणी कृषक व कृषि काल) में खुदकाश्त दर्ज है। इस प्रकार वाद अधीन भूमि मन्दिर मूर्ति श्री शंकर महादेव जी के नाम खुदकाश्त दर्ज है। मन्दिर खुदकाश्त दर्ज होने से पुजारी/उपकृषक को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है। अतः अप्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज करने का निवेदन किया।

4. हमारे द्वारा उक्त प्रकरण में प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि

5. हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में गहनता से अवलोकन किया गया एवं वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, दस्तावेजात् एवं अप्रार्थी सं0 1 के जवाब का अद्योपांत अवलोकन एवं अध्ययन किया जाकर बहस पक्षकारान् सुन मनन किया गया।

प्रार्थी द्वारा राजस्व ग्राम जोगियों का नाडा स्थित ख0नं0 234/1 रकबा 45–03–00 भूमि व ख0नं0 234/2 रकबा 00–07–00 कुल रकबा 45–10–00 भूमि

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

तथा ग्राम रामपुरा की ढाणी स्थित ख0नं0 31 रकबा 00–05–00 गै0मु0 चाह व ख0नं0 32 रकबा 17–03–00 कुल रकबा 17–08–00 भूमि में पुजारी के रूप में प्राप्ति का नाम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड की शुद्धि दिनांक 25.11.2011 के परिपत्र अनुसार किये जाने के आदेश प्रदान करने एवं अन्य उचित अनुतोष दिलवाये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष कि प्रार्थी को विवादग्रस्त आराजीयात् में पुनः पुजारी के रूप में जोड़ा जाये, उल्लेखित परिपत्र दिनांक 25.11.2011 में पुजारी के नाम पुनः जोड़ने के प्रावधान नहीं किये गये है। परिपत्र दिनांक 25.11.2011 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि "जहां राजस्व विभाग के पत्र प02(4)राज–4/98/37 दिनांक 31.12.1991 की पालना में पूर्ववर्ती राजस्व रिकार्ड (जमाबन्दी) में काश्तकारों की अंकित खातेदारी अंकन को बिना किसी रेफरेंस प्रार्थना पत्र पर पारित विधिक आदेश के विलोपित कर दिया है ऐसे मामले राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 में रिकार्ड दुरूस्ती के प्रावधानों के अंतर्गत निर्णित किये जाने चाहिये। क्योंकि ऐसे मामलों जिनमें बिना किसी विधिक आदेश के खातेदारी अंकन का रिकार्ड तैयारी के समय विलोपन कर दिया हो, उन्हे पत्र दिनांक 31.12.1991 की गलत व्याख्या के तहत् की गयी लिपिकीय भूल ही माना जावेगा और ये राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत अंकन दुरूस्त करने की श्रेणी में आते है। अतः ऐसे मामलों में प्रभावित काश्तकारों से धारा 136 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र विधिवत् दायर कराकर रिकार्ड दुरूस्ती की कार्यवाही की जावे।" यहां उक्त परिपत्र में यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि "यह विशेष रूप से ध्यान रखा जावे कि यह परिपत्र उन मामलों में लागू नहीं होगा जिनमें किसी विधिक आदेश से कृषक की खातेदारी विलोपित करके भूमि मूर्ति मंदिर की खातेदारी में दर्ज की गई हो। उक्त परिपत्र में बिना विधिक प्रक्रिया के विलोपित खातेदारी को पुनः दुरूस्त करने का प्रावधान है। पुजारी के नाम को पुनः जोड़े जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 का अस्वीकार योग्य होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 30/09/22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(परसाराम)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (अजमेर)